

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थी** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा हुनावास खुर्द पटवार हल्का गर्नीया में स्थित खसरा संख्या 97/24 कुल रकबा 0.1133 हेक्टेयर किरम बरानी दोयम के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।



सहायक कलक्टर
(फारम होम) जैतारण
(जिला-ब्यावर) (राज0)

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारम होम) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)